रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 8, 1990/ज्येष्ठ 18, 1912
No. 313] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 8, 1990/JYAISTHA 18, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 1990

(आय-कर)

का.आ. 466 (अ) :—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में,

(क) नियम 30 में

(i) उपनियम (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) में शब्द, अंक और अक्षर "धारा 194क, धारा 194ग और धारा 194घ" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"धारा 193, धारा 194क, धारा 194ग, धारा 194घ और धारा 195,";

(ii) उपनियम (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) के मद (1) में शब्द, अंक और अक्षर "जहां धारा 194क में ब्याज के रूप में निर्दिष्ट आय या धारा 194ग में निर्दिष्ट राशि या धारा 194घ में आय बीमा के कमीशन के रूप में निर्दिष्ट" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, अंक और अक्षर रखे जायेंगे, अर्थात् :—

"जहां धारा 193 में प्रतिभूतियों के ब्याज के रूप में निर्दिष्ट आय या धारा 194क में ब्याज के रूप में निर्दिष्ट आय या धारा 194ग में निर्दिष्ट राशि या धारा 194घ में बीमा कमीशन के रूप में निर्दिष्ट आय या धारा 195 में निर्दिष्ट ब्याज या अन्य कोई राशि";

(iii) उपनियम (1) का खंड (ख) का उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

"(ii) ऐसी राशियों की बाबत जिनकी कटौती अन्य उपबंधों के अनुसार की गई है, ऐसी कटौती की तारीख से एक सप्ताह के भीतर";

(iv) उपनियम (i) के खंड (ख) में परन्तुक का खंड (क) में, शब्द "प्रतिभूतियों पर ब्याज" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जायेंगे, अर्थात् :--

"प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय";

(v) उपनियम (2) में "ऐसे आय-कर चालान की खाली प्रतियां उनके लिए निवेदन करने पर निर्धारण अधिकारी द्वारा दी जाएगी" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(vi) उपनियम (2) में पहले परन्तुक का लोप किया जाएगा;

(vii) उपनियम (2) में दूसरे परन्तुक में "परन्तुक यह और कि" शब्दों के स्थान पर "परन्तु" शब्द रखा जाएगा;

(viii) उपनियम (3) में "आय-कर चालान की खाली प्रतियां उनके लिए निवेदन करने पर निर्धारण अधिकारी द्वारा दी जाएगी" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) नियम 37 में सारणी के स्तम्भ 3 में "मास" शीर्ष के नीचे,-

(i) क्रम संख्यांक 2 के सामने "मई" प्रविष्टि के स्थान पर "जून" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ii) क्रम संख्यांक 4 के सामने "अप्रैल" प्रविष्टि के स्थान पर "जून" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iii) क्रम संख्यांक 7 के सामने "मई" प्रविष्टि के स्थान पर "जून" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[सं. 8682/फा.सं. 142/34/89-टी पी एल]
सुनील चोपड़ा, निदेशक (टी पी एल)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 1990

INCOME-TAX

S.O. 466(E):—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Twelfth Amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, -

(a) in rule 30,—

(i) in sub-clause (i) of clause (b) of sub-rule (1), for the words, figures and letters "section 194A, section 194C and section 194D", the following words, figures and letters shall be substituted, namely: "section 193, section 194A, section 194C, section 194D and section 195";

(ii) in item (I) of sub-clause (i) of clause (b) of sub-rule (1), for the words figures and letters "where the income by way of interest referred to in section 194A or the sum referred to in section 194C or the income by way of insurance commission referred to in section 194D", the following words, figures and letters shall be substituted, namely:

"where the income by way of interest on securities referred to in section 193 or the income [by way of interest referred to in section 194A or the sum referred to in section 194C or the income by way of insurance commission referred to in section 194D or the interest or any other sum referred to in section 195";

(iii) in sub-clause (ii) of clause (b) of sub-rule (1), the words "within one week from the date o' receipt of the challan by the person making the deduction, who shall make an application to the Assessing Officer" shall be omitted;

(iv) in clause (a) of proviso to clause (b) of sub-rule (1), for the words "income chargeable under the head "Interest on securities", the following words shall be substituted, namely:

"income by way of interest on securities";

(v) in sub-rule (2), the words, "blank copies of which shall be supplied by the Assessing Officer on request for the purpose" shall be omitted;

(vi) in sub-rule (2), the first proviso shall be omitted;

(vii) in sub-rule (2), in the second proviso, for the words "provided further that", the words "Provided that" shall be substituted;

(viii) in sub-rule (3), the words "blank copies of which will be supplied by the Assessing Officer on request for the purpose," shall be omitted;

(b) in rule 37, in column (3) of the Table under the heading "Month",—

(i) against serial number 2, for the entry "May", the entry "June" shall be substituted;

(ii) against serial number 4, for the entry "April", the entry "June" shall be substituted;

(iii) against serial number 7, for the entry "May", the entry "June" shall be substituted.

[No. 8682/F.No.142/34/89-TPL]
SUNIL CHOPRA, Director (TPL)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990.